National Journal of Multidisciplinary Research and Development
ISSN: 2455-9040; Impact Factor: RJIF 5.22
www.nationaljournals.com
Volume 2; Issue 2; May 2017; Page No. 256-261

# मानवाधिकार में महिला सशक्तिकारण का महत्वांकन

**भूमिका प्रसाद, पवन कुमार**
शोध छात्र, राजनीति विभाग, डी0 एस0 बी0 परिसर कुमाऊँ विश्वविद्यालय, नैनीताल, उत्तराखंड, भारत।

## सारांश
मानवाधिकार वह आधारभूत अधिकार है जा विश्व के किसी भी भाग में निवास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के कारण मिलने चाहिये। ये अधिकारी हमारी मानवीय सद्भावना पर आधारित होते हैं। मानवाधिकार का प्रश्न कई कारणों से एक प्राचीन तर्क का विषय रहा है। मानवाधिकारों की अवधारणा का एक लम्बा इतिहास रहा है। इस मान्यता से इसकी आधुनिक अवधारणा, ऐतिहासिक आधार और आदर्शों के निरीक्षण में सहायता मिलती है। मानवाधिकारों को समझने के लिये यह समझना जरूरी है कि यह स्थिर वस्तुएँ, सम्पत्ति या कुछ वस्तुओं तक सीमित नहीं है, बल्कि मानवाधिकार का एक व्यापक व्यावहारिक सामाजिक आधार है और इसमें व्यक्ति, राज्य और समाज सम्मिलित है। नागरिक और सामाजिक सत्ता या नागरिक और समाज के बीच सम्बन्धों पर ध्यान देने का विचार अपेक्षाकृत नवीन है।

**मूल शब्द :** मानवाधिकार, सशक्तिकरण।

## प्रस्तावना
## अध्ययन के उद्देश्य
1. मनवाधिकार की अवधारणा का अध्ययन करना।
2. महिलाओं की स्थिति पर भूमण्डलकरण के प्रभाव का अध्ययन करना।
3. महिला अधिकारों के नियमों के संरक्षण का अध्ययन करना।

## शोध क्रिया विधि
प्रस्तुत शोध पत्र विषय से सम्बन्धित तथ्यों के संकलन एवं विश्लेषण पर आधारित है। तथा इससे सम्बन्धित तथ्यों का संकलन द्वितीयक स्त्रोतों के रूप में विभिन्न पुस्तकों, पत्र–पत्रिकाओं का प्रयोग किया गया है। साथ ही शोध पत्र मे मुख्यतः वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक पद्धति को प्रयोग किया गया है।
मानवाधिकारों का सार्वभौमिक इतिहास संसार के विभिन्न धर्मों एवं दर्शनों में उपस्थित है, परन्तु इस सम्बन्ध में सर्वाधिक प्रचारित मान्यता यह है कि मानवाधिकारों की अवधरणा का जन्म पश्चिमी राज्यों में हुआ था। इस सम्बन्ध में विभिन्न मत विभिन्न विद्वानों द्वारा दिये जाते रहे हैं। ग्रीक और रोमन समय से लेकर वर्तमान समय तक मानवाधिकार की अवधारणा एक विकास का विषय रही है। इसके विकास में 1215 के मैग्नाकार्टा, 1628 का पेटीशन ऑफ राइट्स, 1679 का हैबियस कॉरपस एक्ट एवं 1689 बिल ऑफ राइट्स स्वतंत्रताओं के घोषणापत्र आदि ने एक औपचारिक योगदान किया। साथ ही साथ 17वीं एवं 18वीं सदी के लेखकों, जिनमें मुख्यतः लॉक नैसर्गिक अधिकारों की प्रभावशाली अभिव्यक्ति के द्वारा निरंकुशता की स्थिति में राज्य के विरूद्ध क्रान्ति को जनता का एक वैधानिक अधिकार माना एवं उसके इस विचार की परिणति सन् 1688 के इंग्लैण्ड की गौरवपूर्ण क्रान्ति के रूप में हुयी जिसने मनुष्य को अपने मानवाधिकारों की प्रति के लिये संघर्ष को प्रोत्साहित किया, जिसके पश्चात् अमरिकी क्रान्ति एवं फ्रांसीसी क्रान्ति के द्वारा मानव स्वतंत्रता को एक नया आयाम एवं विकास प्रदान किया गया। इसके साथ ही समय–समय पर अनेक विद्वानों एवं जनक्रान्तियों के द्वारा अपने स्वतंत्रता संघर्ष के परिणामस्वरूप मानवाधिकारों की अवधारणा को बल एवं प्रोत्साहन मिला, जिसमें भारतीय, स्वतंत्रता संघर्ष को हम उल्लेखनीय रूप में भारतीय जनता के आत्मनिर्णय के अधिकार की प्राप्ति की दिशा में एक साहसिक घटना मानते हैं, जिसके फलस्वरूप 15 अगस्त, 1947 को हमारे आत्मनिर्णय के अधिकार को साकार रूप प्राप्त हुआ। इन सब घोंषणाओं और क्राहन्तियों ने मानवाधिकार की अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। इस प्रकार मानवाधिकार की अवधारणा के विकास में महत्वपूर्ण सहयोग दिया है। इस प्रकार मानवाधिकार की जड़े विभिन्न रूपों में अतीतकाल में भी विद्यमान थीं परन्तु 20वीं सदी में यह लोकप्रिय विषय बन गया। दोनों विश्वयुद्धों ने मानव जीवन के मूल्य को लेकर नई चेतना का जागरण किया और यह नई चेतना संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के विभिन्न उपबन्धों मे परिलक्षित हुयी। 20वीं सदी के मध्य तक कुछ ऐतिहासिक तत्वों के परिणामस्वरूप मानवाधिकारों की अवधारणा एक सर्वव्यापक अभिव्यक्ति के रूप में उभरी। द्वितीय विश्वयुद्ध से उत्पन्न भय ने आधुनिक मानवाधिकारों की पहचान और जन्म का नेतृत्व किया। युद्ध के बाद मानवाधिकारों को अन्तराष्ट्रीय कानून के एक विषय के रूप में शामिल किया गया। युद्ध के बाद मानवाधिकारों का आधार 1841 में अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रेंकलिन रूजवेल्ट द्वारा चार स्वतंत्रताओं के बारे में अमेरिकी संघ में दिया गया भाषण था जिसे सर्वत्र सराहा गया एवं बाद में मानावाधिकारों के चार्टर में शामिल कर लिया गया। इस प्रकार 1945 तक मानवाधिकारों के सिद्धान्त और इसकी विषय वस्तु के प्रति एक सर्वव्यापक सहमति का माहौल बन चुका था। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह मान्यता बन गयी थी कि अन्तराष्ट्रीय चार्टर और राष्ट्रीय संविधानों और देशों के आतंरिक और आपसी सम्बन्धों की वास्तविकता में तभी स्थायित्व आ सकता है जबकि यह सम्बन्ध सामाजिक–आर्थिक न्याय और मानवाधिकरों पर आधरित हों। अतः परम्परागत राजनीति और नागरिक अधिकारों और नए सामाजिक–आर्थिक अधिकारों में पुनः अपेक्षित विश्वास करते हुए मानवाधिकारों को प्रत्यक्ष प्रभावशाली स्थान प्रदान किया गया। इस प्रकार से 20वीं शताब्दी में राजनीतिक संदर्भ में मानवाधिकारों में नवीन परिवर्तन किये गये और मानवाधिकारों के आदर्श और सिद्धान्तों को एक निश्चयात्मक रूप प्राप्त हुआ।
इस कड़ी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि एवं मानवाधिकारों के संरक्षण की दिशा में सबसे महत्वपूर्ण प्रयास संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा 10 दिसम्बर, 1948 को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा से प्रारम्भ हुआ और तभी से प्रत्येक वर्ष 10 दिसम्बर को अन्तराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। इस घोषणा पत्र में सभी सदस्य देशों और दुनिया के सभी लोगों से कहा गया कि

वे घोषणा पत्र में चिन्हित की गयी स्वतंत्रताओं और अधिकारों को प्रोत्साहित करें और उनकी प्रभावी मान्यता और अवलोकन सुनिश्चित करें। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकृत घोषणा पत्र के 30 अनुच्छेद नागरिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक मानवाधिकारों के सम्बन्ध में है। वैसे मानवाधिकार का सम्बन्ध मात्र मानवीय पक्ष की संवेदना, सहयोग एवं वैचारिक आदान–प्रदान तक ही सीमित नहीं होता है, बल्कि यह किसी भी सभ्य एवं सुसंस्कृत समाज का व्याकरण होता है जिसके मूल में मानव गरिमा, न्याय, निष्पक्षता एवं शोषण रहित न्याय निहित होता है। 'सार्वभौम घोषणा' ने मानवाधिकारों को स्पष्ट रूप में परिभाषित किया एवं इनको सूचीबद्ध करते हुए चार्टर की मानवाधिकार अवधारणा को आकार दिया। सार्वभौमा घोषणा अन्तराष्ट्रीय विधि का ऐसा दस्तावेज है जो सम्प्रभु राज्यों की सामान्य इच्छा को अभिव्यक्त करता है। घोषणा को मानवाधिकारों के निरूपण की दिशा में एक महत्वूर्ण कदम मानते हुए इसे मानवाधिकारों को परिभाषित करने के सन्दर्भ में वास्तविक मैग्नाकार्टा माना गया। घोषण ने सम्पूर्ण विश्व के समक्ष मानवाधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक मानक स्थापित किया एवं इसने अपने अंगीकार किये जाने के समय से ही अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपना प्रभाव स्थापित किया है। जिसे विश्व के अभिसंख्यक देशों के संविधान एवं विधि निर्माण की प्रक्रिया में देखा जा सकता है।

इसी क्रम में चूँकि सार्वभौम घोषणा सदस्य देशों पर विधिक बाध्यता अधिरोपित नहीं करती थी। अतः अन्तराष्ट्रीय स्तर पर विधिक बाध्यताओं वाले दो दस्तावेज–प्रश्न, नागरिक एवं राजनैतिक अधिकारों की अन्तराष्ट्रीय प्रसंविदा–1966 और सामाजिक, आर्थिक अधिकारों की अन्तराष्ट्रीय प्रसंविदा, 1966 अस्तित्व में आयी। इन प्रसंविदाओं के द्वारा मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा में प्रतिपादित सामान्य मानक की प्राप्ति को अब आदेशात्मक बाध्यताओं में अनुवादित या रूपान्तरित कर दिया गया है जो प्रसंविदा के पक्षकारों पर बाध्य है। 'विधि के शासन' के विकास की दिशा में ये ऐतिहासिक प्रसंविदायें महत्वपूर्ण घटनाएँ हैं। इन प्रसंविदाओं के द्वारा मानवाधिकारों के प्रवर्तन तंत्र को भी स्थापित किया गया है। इस प्रसंविदा के पक्षकार राज्यों से यह अपेक्षा की गयी है कि वह मानवाधिकारों के संरक्षण एवं प्रवर्तन के संदर्भ मे अपने यहाँ एक सुव्यवस्थित एवं निष्पक्ष प्रवर्तनतंत्र की स्थापना करें जिसका प्रभाव आज विभिन्न देशों की न्याय व्यवस्था में परिलक्षित होता है।

इस प्रकार सार्वभौम घोषणा एवं इन अभिसमयात्मक विधियों में वर्णित अधिकार स्त्री एवं पुरूष सबको समान रूप से प्राप्त है। संयुक्त राष्ट्र ने लिंग आधारित भेदभाव मिटाने की दिशा में उल्लेखनीय प्रयास किये। घोषणा में स्त्री–पुरूष समता की दिशा में अनेक उपबंध है। साथ ही साथ, संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अभिकरणों द्वारा अनेक अभिसमयों एवं आयोगों की स्थापना की गयी जिसके फलस्वरूप आज महिलायें विश्व में पूर्व की अपेक्षा थोड़ी बेहतर स्थिति में हैं। संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के ही परिणामस्वरूप आज इसके सदस्य राष्ट्र एवं अन्य राष्ट्रों में महिलायें अब अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हो रही हैं एवं अधिसंख्यक राज्यों में महिलाओं के अधिकारों के संरक्षण की दिशा में विभिन्न नीतियों, योजनाओं एवं प्रावधानों को स्थान दिया जा रहा है।

स्त्रियों और पुरूषों के बीच समता को बढ़ावा देने और स्त्रियों की प्रस्थिति को सुधारने की प्रेरणा संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा से प्राप्त हुयी। जिसने गैर–भेदभाव के एक सामान्यात्मक की स्थापना की। लिंग आधारित भेदभाव अनुज्ञय नहीं है। यह 'समान संरक्षण' का भी प्रावधान करता है।

जिस गैर–भेदभाव के सामन्य मानव की स्थापना मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा ने किया, उसे संयुक्त राष्ट्र द्वारा अंगीकृत मानवाधिकार सम्बन्धी दोनों अन्तर्राष्ट्रीय प्रसंविदाओं से भी बल मिला। संयुक्त राष्ट्र के तत्वाधान में किये गये तमाम उपाय स्त्रियों की प्रस्थिति पर आयोग के प्रयत्नों का ही परिणाम है। यह आयोग महिलाओं से सम्बन्धित अधिकारों पर अभिसमय का प्रारूप तैयार करता है तथा प्रत्येक वर्ष सम्मेलन आयोजित करता है ताकि इसबात का परीक्षण किया जा सके कि दुनिया भर में महिलाओं के लिये समता की प्राप्ति की दिशा में कितनी प्रगति हुयी है।

इस बात पर अपना ध्यान केन्द्रित करते हुये कि महिलाओं के सम्बन्ध में जो अन्तराष्ट्रीय मानक हैं उनका कार्यान्वयन कैसे हों, संयुक्त राष्ट्र के कार्यक्रम महिलाओं और पुरूषों के लिये समान अवसर और समान अधिकार पर विशेष बल देते हैं। संयुक्त राष्ट्र और उसके विशिष्ट अभिकरणों के तत्वाधान में लिंग पर आधारित भेदभाव को समाप्त करने की दिशा में अनेकों दस्तावेज और अभिसमय अंगीकार किये गये हैं। इन दस्तावेजों में सम्मिलित हैं– महिलाओं के विरूद्ध भेदभाव के समापन के लिये अभिसमय–1979, महिलाओं के राजनीतिक के राजनीतिक अधिकार पर अभीसमय–1952, महिलाओं की राष्ट्रिकता पर अभिसमय–1957, विवाह की सम्मति, विवाह की न्यूनतम आयु तथा विवाह के पंजीकरण सम्बन्ध अभिसमय 1962 और इसी विषय पर संस्तुति 1965, समान पारिश्रमिक अभिसमय–1951, भेदभाव (नियोजन और व्यवसाय अभिसमय 1958, शिक्षा में भेदभाव के विरूद्ध अभिसमय, 1960 तथा इसी विषय पर संस्तुति 1960, पारिवारिक दायित्व वहन करने वाली महिलाओं को विशेष सरकारी संस्तुति 1965, अध्यापकों के प्रस्थित के प्रस्थित सम्बन्धी संस्तुति 1966, तेहरान घोषणा–1968, सामजिक प्रगति और विकास की घोषणा 1969।

इन अभिसमय ने अपने अंगीकार किये जाने के समय से ही अपने पक्षकर राज्यों एवं अन्तराष्ट्रीय मंच पर प्रतिबद्धता के कारण आज अधिकतर देशों में जहाँ लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, वहाँ महिलाओं की स्थिति को बेहतर बनाने की दिशा मे पहल की जा रही है। साथ ही साथ 1989 में इसमे बच्चों एवं 1993 में वियना औश्र 1995 मे पेइचिंग में हुये सम्मेलनों के बाद 'महिलाओं के अधिकारों' को व्यापक रूप से शामिल किया गया। इनके द्वारा बच्चों को उनकी बुनियादी आवश्यकताओं (पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा) तथा महिलाओं को राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक गतिविधियों में समान रूप से भाग लेने के अधिकार प्रदान किये गये। इस प्रकार इन सम्मेलनों ने विश्व में सभी जगह महिलाओं के लिये समता, विकास और शान्ति सुनिश्चित करने के आन्दोलन में एक नया अध्याय जोड़ा। जिसके परिणामस्वरूप आज सभी देश महिलाओं को महत्व प्रदान करते हुए उनके विकास की अनुकूल परिस्थितियों का निर्माण करने हेतु अनेक अभिसमयों को अंगीकृत करते हुए महिलाओं से सरोकार रखने वानी नीतियों का निर्माण कर रहे हैं।

भारत एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जो अधिकतर अभिसमयों का अनुसमर्थन करते हुए उसका पक्षकार बना है।

मानवाधिकार मानवीय संवेदनाओं को प्रतिबिंबित करता है एवं मानव कल्याण के विश्व दृष्टिकोण का विकास प्राचीन भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति से सर्वाधिक रहा है। भारत की मानवाधिकार के संरक्षण एवं संवर्धन के प्रति तत्परता इसी बात से स्पष्ट है कि उसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र का 1948 में समर्थन किया हालांकि उन दिनों भारत एक संक्रमणकालीन स्थिति से गुजर रहा था। तथापि, मानवोचित अधिकारों के संरक्षण के प्रति तत्कालीन सरकार ही नहीं, संविधान निर्माता भी सजग थे। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार, सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा से बहुत अधिक साम्यता रखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिक तथा राजनैतिक अधिकारों को न केवल संरक्षण दिया गया है बल्कि इन्हें पर्याप्त सम्मान भी दिया गया है। भारतीय संविधान

निर्माताओं ने स्वस्थ व सम्यक् समाज निर्माण हेतु जनता के मानवाधिकारों को संविधान में पूर्ण महत्व दिया जो मानवाधिकारों को अक्षुण्ण रखने में सहायक है। इस प्रकार भारतीय संविधान पर सार्वभौमिक घोषणा का प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है।

भारतीय संविधान भी संयुक्त राष्ट्र के घोषणापत्रों में विर्णत अधिकारों के अनुरूप बिना किसी भेद–भाव के सभी स्त्री एवं पुरूषों के लिए समान रूप से अधिकारों का उपबंध करता है। संविधान में दिये गये उपबंध समाज के प्रत्येक वर्ग को बिना किसी भेदभाव के उनके अधिकार प्रदान करते हैं। भारतीय संविधान का भाग–3 एवं भाग–4 क्रमशः मूलअधिकारों उपं राज्य के नीति–निर्देशक तत्वों की व्यवस्था करता है जो सार्वभौमिक घोषणा में वर्णित अधिकारों से पर्याप्त साम्य रखते हैं एवं इसे भारत के उच्चतम न्यायालय ने अपने कई फैसलों में समय–समय पर उद्धृत किया है। इन निर्णयों के जरिये उस लोकतांत्रिक भावना को पुष्ट करने का प्रयास किया गया है जो वास्तविक रूप से सामाजिक न्याय के प्रवर्तन में सहायक है और जो किसी भी प्रगतिशील राष्ट्र का अनिवार्य लक्षण भी हैं।

संविधान में महिलाओं को विशेष स्थिति प्रदान करते हुए उनके विकास हेतु अनेक उपबन्ध किये गये हैं। भारत हमेशा से महिलाओं के निर्मित अन्तराष्ट्रीय और राष्ट्रीय मंत्र पर समर्थक रहा है, अतः इसने स्वतंत्रता प्राप्ति से ही स्त्रि–पुरूष असमता की खाई को पाटने का प्रयास किया ताकि महिलायें सही अर्थों में पुरूषों के आमने–सामने समान हैसियत का उपयोग कर सकें, जिसे इसने अपने संवैधानिक उपबन्धों, कानून निर्माण प्रक्रिया एवं अनेक योजनाओं व नीतियों में प्रमुखता देकर सिद्ध किया है। इसका एक प्रमुख कारण यह भी है कि आज महिलायें प्रत्येक देश एवं क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। अब सरकार अंतिम पायदान पर खड़ी महिलाओं के लिये भी अपने विकास के मानदण्ड़ों में बदलाव ला रही है। पहले महिलाओं के लिये सरकार के पास केवल कल्याणोन्मुखी योजनाएँ थी, परन्तु बाद में विकास कार्यक्रमों को बढ़ावा दिया गया। लेकिन आज महिलाओं के सशक्तिकारण की बात हो रही है। आज उन्हें दया का पात्र समझने की बजाय प्रगति के मार्ग में समान भागीदार माना जाने लगा है। इस विषय पर सरकार की गम्भीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 'राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम' के छह मूल उद्देश्यों में एक उद्देश्य 'महिलाओं को राजनैतिक, शैक्षणिक, आर्थिक और कानूनी दृष्टि से सशक्त बनाना रखा गया है। सरकार की इस मामले में महिलाओं को पुनर्वास से लेकर आत्मनिर्भर बनाने तक की पहल है। इसके लिये सरकार सरकारी तंत्र के अलावा गैर–सरकारी संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं से भी हाथ मिला रही है।

सरकार द्वारा किये गये प्रयासों की दिशा में एक सराहीन कदम राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना है। महिलाओं के लिये राष्ट्रीय आयोग उनके हितों के संरक्षण, संवर्धन और कानूनी अधिकारों की रक्षा का एक निकाय है। यह महिलाओं के सम्बन्धित महत्वपूर्ण कानूनों की कार्यकुशलता में सुधार की संस्तुतियाँ करने के लिये उनकी समीक्षा करता है, जिससे महिलाओं को उत्पीड़न से बचनाया जा सके। इस प्रकार सरकार महिलाओं की दशा में सुधार हेतु राष्ट्रीय महिला आयोग एवं अन्य सहयोगी संगठनों के साथ मिलकर बेहतर सुविधाएँ प्रदान कर रही हैं एवं इनका परिणाम आज तक प्रत्येक्ष क्षेत्र में महिलाओं की बढ़ती हुयी भागीदारी है। साथ ही साथ, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय अन्य मंत्रालयों के साथ मिलकर उन योजनाओं को भी अमलीजामा पहनाने की फिराक में है जिससे महिलाये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से स्वतंत्र व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो सकें। अन्य प्रयास भी अभी प्रस्तावित है। सरकार द्वारा महिलाओं के आर्थिक विकास की दिशा का अध्ययन के पश्चात् यह निष्कर्ष उभर कर आता है कि वर्तमान समय में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी को महिलोन्मुखी बजट योजना से और भी बल मिला है। पंचवर्षीय योजनाओं में भी महिलाओं से सम्बन्धित योजनाओं को सम्मिलित किया जा रहा है जिसे हम सरकार के बजट परिव्यय को देखकर ज्ञात कर सकते हैं।

आज भारतीय नारियों ने देश–दुनिया के हर क्षेत्र में अपना सम्मानित स्थान बनाया है और इनके हौसले बढ़ाने के लिये सरकार पूरी सक्षमता से इनके साथ खड़ी है। इसके लिए भारत सरकार की देश–विदेश में प्रशंसा भी हुयी है। आज सरकार महिलाओं के उत्थान, विकास और उन्हें सशक्त बनाने वाले सारे प्रयासों पर जोर दे रही है। सरकार गौव व जंगल में अपनी पहचान खोई महिलाओं से लेकर आधुनिकता से कदम ताल मिलाती महिलाओं के साथ है। वह आज उन्हें विकास के वह सारे मानक देने को तैयार है जो उन्हें सशक्त बनाने के लिये जरूरी हैं। सरकार महिलाओं के स्वास्थ, खाद्य, पोषण, सुरक्षा, न्यूनतम, बुनियादी आवश्यकताओं और सुविधाओं समेत, शिक्षा, रोजगार और न्याय जैसे उपक्रमों के माध्यम से अपना हाथ उन तक बढ़ा रही है। इसके अलावा सरकार विपदाग्रस्त, कामकाजी, कठिन परिस्थितियों में जीवन यापन करने वाली, सुनामी व भूकम्प से प्रभावित, अवैध देह व्यापार और वेश्यावृत्ति से जुड़ी एवं बलात्कार की शिकार महिलाओं के लिये प्रयास करते हुये महिलाओं के लिये कल्याणोन्मुखी विकासपरक और सशक्तीकरण तक के रास्ते खोल रही है।

सरकार द्वारा चलायी जाने वाली योजनाओं एवं नीतियों की पारदर्शिता हेतु सरकार ने हाल ही में सूचना के अधिकार अधिनियम को पारित कर दिया। ये महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में एक अचूक हथियार है, जिसके द्वारा महिलायें परिवार से लेकर राष्ट्रीय संदर्भ में इस अधिकार का प्रयोग कर बहुत कुछ कर सकती हैं। यह अधिनियम चंद प्रतिबन्धित क्षेत्रों को छोड़कर अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्रों को सूचना के अधिकार के दाये में लाता है। परन्तु आज वर्तमान समय में इस अधिनियम के विषय में अधिकांश जनता जागरूक नहीं है। महिलाएँ इस अधिकार का प्रयोग यदि सोच समझकर करें तो अपने विरूद्ध किये गये विभिन्न प्रकार के अन्यायों से मुक्त हो सकेगी, साथ ही साथ वे सही मायनों मे सशक्तिकरण की दिशा की ओर अग्रसर हो सकेंगी। जहॉ जागरूक लोग इस अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, वहॉ इसके वांछित परिणाम सामने आ रहे हैं परन्तु अभी सरकार को इस क्षेत्र में महिलाओं को जागरूक बनाने की आवश्यकता है क्योंकि जागरूक के द्वारा ही इस अधिकार का सही प्रयोग किया जा सकता है।

महिलाओं के मानवाधिकारों की दिशा में किये गये इन संवैधानिक प्रयासों एवं सरकारी नीतियों में प्रतिबद्वता का श्रेय बहुत सीमा तक गैर–सरकारी संगठनों एवं स्वैच्छिक संगठनों को दिया जा सकता है।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से लेकर अब तक इन संगठनों का ही परिणाम है कि सरकार अब अपनी विभिन्न नीतियों, कानूनों एवं योजनाओं में महिलाओं के सर्वांगीण विकास की ओर ध्यान दे रही है। सरकार राष्ट्रीय महिला आयोग की ही तरह राष्ट्रीय महिला कोष की भी व्यवस्था उपलब्ध कराती हैं, जिसकी सीपना 1993 में की गयी थी। इस कोष का लक्ष्य गरीब महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाने के लिये,उत्पादन कौशल विकास और घरेलु कार्यकलापों के लिय ऋण सहायता अथवा लघु ऋण सहायता अपने कार्यों को क्रियान्वित करती है। सरकार इन कार्यक्रमों का भी आयोजन करती है क्योंकि समस्या, आवश्यकता और विकास के मानकों का अध्ययन किये बिना यह संभव नहीं है। परन्तु देश में

समस्याओं की इतनी लम्बी श्रृंखला है कि उसका सतही स्तर पर आंकलन प्रस्तुत करना सम्भव नहीं है। फिर भी, गैर–सरकारी संगठनों द्वारा समय–समय पर महिलाओं से सम्बन्धित समस्याओं पर ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है। 'विशाखा बनाम् राजस्थान' जैसे सुप्रसिद्व मामले में, जो कार्यस्थल पर यौन–उत्पीड़न से सम्बन्धित था, 'विशाखा' नामक स्वयंसेवी संस्था द्वारा ही इसे सरकारी तंत्रों के संज्ञान में लाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप आज यौन उत्पीड़न से संरक्षण विधेयक 2005 संसद में पारित होने के लिये प्रस्तावित है।

इसी क्रम में भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की सीपना मानवाधिकारों की रक्षा और इनके बाद में जागरूकता फेलाने के उद्देश्य से 1993 में की गयी। राष्ट्रीय मानवाधिकारों के पालन हेतु कमीशन ने मानवाधिकार विशेषकर नागरिक स्वंतत्रताओं के क्षेत्र में बड़ा ही सराहनीय योगदान दिया है। उदाहरण के लिये, हिरासत में होने वाली मृत्यु, बलात्कार एवं यंत्रणा को रोकने में कमीशन की भूमिका बड़ी ही प्रशंसनीय रही हैं। कमीशन द्वारा जिलाधाशों एवं पुलिस अधीक्षकों को जारी निर्देश हि हिरासत में मौत या यंत्रणा की घटना के 24 घंटों के भीतर कमीशन को सूचना भेजी जायें, ऐसी घटनाओं को रोकने व कम करने में बड़े प्रभावशाली सिद्व हुये। उदाहरण के लिये दिल्ली पुलिस के सहायक उपनिरीक्षक द्वारा पुलिस हिरासत में बलात्कार के मामले में 14 दिसम्बर, 1993 के कमीशन के परिपत्र के अनुसरण में कमीशन को पुलिस उप कमिश्नर, साउथ, डिस्ट्रिक्ट, न्यू देलही द्वारा एक रिपोर्ट प्राप्त हुयी। कमीशन ने इस मामले की एक रिपोर्ट, 'लोकतांत्रिक अधिकारों के लिये संघ' (PUDR) दिल्ली से भी प्राप्त की। कमीशन ने उक्त मामले में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार का रिपोर्ट तथा (PUDR) की रिपोर्ट पर विचार किया तथा सरकार को निर्देश दिया कि यह स्पष्ट करें कि महिला को पुलिस स्टेशन में रात को क्यों निरूद्व किया गया, मामलें को पुलिस ने डायरी में दर्ज क्यों नहीं किया गया? सरकार ने क्या कदम उठाये है या क्या कार्यवाही यह सुनिश्चित करने के लिये की है कि जिन महिलाओं को खोजबीन के लिये पुलिस स्टेशन बुलाया जाय उन्हें विशेषकर रात में पुलिस स्टेशन में निरूद्व नहीं किया जाये। तत्पश्चात् (NCTD) की सरकार ने उत्तर दिया कि पुलिस स्टेशन में डायरी में रिपोर्ट दर्ज करने की चूक या त्रुटि हुयी थी। उसी प्रकार महिला के परिवार वालों को उसकी सूचना देने में भी चूक हुयी थी। इसके अतिरिक्त महिलाओं को पूछताछ हेतु रात में न बुलाने तथा यदि बुलाया जाये तो एक महिला पुलिस अधिकारी उपस्थित होनी चाहिये आदि आदेश तथा उनके कड़ाई से पालन के आदेश दिये गये। उपर्युक्त प्रकार के मामलों पर कमीशन ने कार्यवाही करके इस प्रकार के नियमों के विकास में योगदान दिया है। इस प्रकार कमीशन ने पुलिस अधिकारियों द्वारा अपनी शक्तियों के दुरूपयोग या ज्यादतियों पर एक अप्रत्यक्ष प्रकार का अंकुश लगा दिया है।

कमीशन के अध्यक्ष पद पर भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश तथा सदय उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य सदस्यों में एक राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष भी शामिल होती हैं, अतः सरकार एवं लोग इसे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं तथा इसकी संस्तुतियों का सामान्यतः सम्मान किया जाता है। यह एक कानूनी स्वायत्त निकाय या संस्था है तथा इसे शक्ति संसद के अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त है। अतः केन्द्र व राज्य सरकारों को इसकी संस्तुतियों को स्वीकार तथा कार्यान्वित करते समय कई बार विचार करना पड़ेगा। यह भी उल्लेखनीय है कि धारा 18 (6) के अंतर्गत कमीशन के लिये यह अभिदेश की सरकार की टीका–टिप्पणी की गई या प्रस्तावित कार्यवाही समेत जॉच की रिपोर्ट प्रकाशित करें। ऐसी रिपोर्ट प्रकाशित होने पर प्रबल लोकमत उत्पन्न करती है, अतः भारत जैसे लोकतांत्रिक राष्ट्र को उक्त लोकतंत्र का आदर करना ही पड़ता है। अतः सामान्यतया सरकार कमीशन की रिपोर्ट एवं संस्तुतियों को स्वीकार करें कार्यवाही करने को विवश हो जाती है। इसी रिपोर्ट के माध्यम से कमीशन महिलाओं की समस्याओं एवं उनके उत्पीड़न से सम्बन्धित घटनाओं की तरफ सरकार का ध्यान दिलाता है ताकि उनकी समस्याओं का समुचित निराकरण हो सके तथा वे जीवन के प्रत्येक स्तर पर अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकें। इस प्रकार कुछ कमियों के बावजूद कमीशन ने मानवाधिकारों के अनुपालन के क्षेत्र में बड़ ही सराहनीय कार्य किया है तथा अभ्यास में कमीशन देश में मानवाधिकारों के प्रचार, प्रसार एवं अनुपालन के क्षेत्र में एक प्रभावशाली निकाय या संस्था सिद्व हुयी है। बहुत कम समय में अर्थात् कुछ ही वर्षों में कमीशन ने मानवाधिकारों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसका पता हम आयोग में साल दर साल बढ़ रही शिकायतों के माध्यम से लगा सकते हैं। अब इसे आम आदमी के अधिकारों के संरक्षण की आस्था के रूप में देखा जाने लगा है। कमीशन की कई मामलों में अधिकांश संस्तुतियॉ स्वीकार कर ली गयी हैं। यदि कमीशन की कुछ संस्तुतियॉ स्वीकार नहीं की गयी है तो इसका दोष सरकार का है न कि कमीशन का वास्तव में केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों को कमीशन के संस्तुतियों पर गम्भीरता से विचार करना चाहिये तथा जब तक स्वीकार करने के बहुत प्रबल या सशक्त या अकाट्य कारण हो सरकार को कमीशन की संस्तुतियॉ स्वीकार करके तुरन्त उनका कार्यान्वयन करना चाहिये।

महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में आयोग ने विभिन्न गैर–सरकारी माध्यामें की सूचना के आधार पर सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रेषित की है ताकि उनका प्रत्येक स्तर पर सबललीकरण किया जा सके। भारत महिलाओं के राजनीतिक अधिकार के अन्तराष्ट्रीय अभिसमय 1952 का पक्षकार राज्य है, अतः उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु प्रभावशाली कदम उठायें। यद्यपि भारत ने 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन, 1993 के माध्यम से पंचायत एवं नगरपालिकाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत सीान आरक्षित करते हुये विकेन्द्रीकरण के स्तर पर उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है तथा यह आरक्षण 50 प्रतिशत पदों पर करने का प्रस्ताव है। यह सहभागिता अब प्रतीकात्मक स्तर से शुरू हो कर वास्तविक सहभागिता के स्तर तक पहुॅच चुकी है। स्वंय के अधिकारों को लेकर महिलायें बहुत सीमा तक सजग हो चुकी हैं। वे राजनीतिक फलक पर एक नवीन पारी की शुरूआत को तैयार हैं, बस उन्हें आवश्यकता है इन राजनीतिक निकायों में व्यापक सहभागिता की दिशा में एक सहयोगी माहौल की। इसके लिये आवश्यकता है कि वर्षों से लम्बित महिला आरक्षण विधेयक को पारित कर दिया जाये ताकि सदियों से उपेक्षित एवं उत्पीड़ित वर्ग शक्ति संरचना के राजनीतिक गलियारों में पहुॅचकर निर्णय–निर्माण प्रक्रिया पर अपनी पैठ बनाकर सही मायनों में महिला सशक्तिकरण को एक सुनिश्चित दिशा प्रदान कर सकें। परन्तु राजनीति को मुख्यतः पुरूष प्रभुत्व का ही क्षेत्र मानते हुये महिलाओं को इस क्षेत्र से लगभग वंचित ही रखा जाता रहा है। यद्यपि महिलाएँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में अपनी सशक्त भागीदारी सुनिश्चित कर रही है परन्तु राजनीति में उनकी अपेक्षित सहभागिता नहीं है लिये सबसे सुरक्षित जगह माना जाता है, पर यहीं पर वह सबसे अधिक उत्पीड़ित भी होती है। पति ही उस पर अत्याचार करता है, पति ही उसके अधिकार के टुकड़े–टुकड़े कर देता है। वस्तुतः आर्थिक वैश्वीकारण से भी महिलाओं के जीवन पर कोई अच्छे परिणाम ही कारित नहीं हुए हैं। जहाँ एक ओर उनके लिए नए अवसर पैदा हुए हैं, वहीं शोषण के नए द्वार भी खुले हैं।

वैश्वीकरण के कारण आज महिलाओं में उपभोक्तावादी संस्कृति का

प्रसार इस तरह से हो रहा है कि वे समझती हैं कि चंद उपभोक्तावादी वस्तुओं के बल पर श्रृंगार प्रसाधनों द्वारा वे कुछ भी प्राप्त कर सकती हैं। विभिन्न सौंदर्य प्रतियोगिताओं द्वारा इनका मार्केट तैयार किया जा रहा है तथा दूरदर्शन के विज्ञापनों द्वारा ऐसा प्रचार किया जा रहा है कि यदि वे इन वस्तुओं को अपना लें तो कहीं भी सफल हो जायेंगी। चाहे फेयर एण्ड लवली का विज्ञापन हो या सनसिल्क या पैटीन शैम्पू अथवा लक्में की लिपस्टिक इनमें औरतों की सफलता के लिये इन वस्तुओं को ही श्रेय दिया जाता है। भूमण्डलीकरण ने एक ऐसी मिथ्या चेतना तैयार की है जिसमें औरतें स्वयं ही अपना शोषण करवाने एवं अपने आपको वस्तु के रूप में अभिव्यक्त करने के लिये प्रवृत्त हो रही है। भूमण्डलीकरण ने महिलाओं की स्थिति पर सिर्फ विपरीत प्रभाव ही नहीं डाना है, बल्कि हम यह कर सकते हैं कि आज भूमण्डलीकरण के कारण महिलायें सदियों से चली आ रही सामाजिक रूढ़िवादित के दायरे से मुक्त हो रही हैं। अब महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होने लगी हैं एवं उन्हें भी अब शिक्षा, रोजगार, प्रत्येक क्षेत्र में अवसर प्राप्त होने लगे हैं। अब महिलाओं को घूंघट न होने के कारण अपमानित नहीं किया जाता है। भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया ने उन्हें एक खुला आसमान दे दिया है जहाँ वे अपनी योग्यता एवं क्षमता को सिद्ध कर रही है।

इस प्रकार यद्यपि महिलाओं को मानव समझकर मानवाधिकार दिलाने की चेष्टा जारी है किन्तु जब तक महिलायें स्वतः अपने अधिकारों के प्रति संचेत नहीं होती तक तक बाहरी चेष्टाएँ कारगर नहीं हो सकती। भारत में रहने वाले चाहें वे किसी भी धर्म के अनुयायी हों, वे सामाजिक व्यवहारों में भारतीय ही हैं। मनु के काल में स्त्रियों के प्रति हीन भावना का जो बीज बो दिया गया है, वह आज भी भारत के 'जन' के रक्त में है। एक ओर तो कहा जाता है कि नारी शक्ति है, देवी है और दूसरी ओर अनेक ऋषियों ने कहा है कि पिता बालकपन में, पति युवावस्था में और पुत्र वृद्धावस्था में स्त्रियों की रक्षा करता है। नारी को कभी स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। अतः आज नारी को अपने सम्बोधन में अबला से 'अ' के स्थान 'स' लगाकर सबला बनाना है।

आज 21वीं सदी में भी महिलाओं की स्थिति कुछ बहुत अच्छी नहीं है। विश्व के अनेक भागों मे आज भी समानता, शोषण, उत्पीड़न बड़े पैमाने पर हो रहे हैं। हमारे पड़ौसी देश में जो स्त्रियों पर अनेक प्रतिबन्ध हैं, अफगानिस्तान में स्त्रियों की दशा दयनीय है। पाकिस्तान की सरकार ही मानवाधिकारों का हनन कर रही है। सत्य तो यह है कि विश्व का कोई भी देश या मानव समाज अभी तक मानवाधिकारों के पूर्णरूप से क्रियान्वयन व उपभोग का आदर्श प्रस्तुत नहीं कर सकता है। विभिन्न सामाजिक व राजनीतिक पद्धतियों में विभिन्न व्यक्तियों को अनेक कारणों से मानवाधिकारों से वंचित रखा गया है।

इसलिये सम्पूर्ण विश्व में ऐसी सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक परिस्थितियों का निर्माण करने की आवश्यकता है जिनमें मानवाधिकारों के उपभोग और उकनी वैधानिक मान्यता स्वीकृत हो और उनकी सुरक्षा हो। इनके बिना मानवाधिकारों की सभी घोषणाएँ केवल कागजी घोषणाएँ होकर रह जायेंगी। वे कभी भी साकार रूप धारण नहीं कर पाएगी। अतः इस दिशा में अधिक कारगर और व्यावहारिक रणनीति तैयार करने और उसे प्रभावी तरीके से अमल में लाने के लिये कुछ अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता महसूस तरीके से अमल में लाने के लिये कुछ अतिरिक्त प्रयास करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। इस दिशा में निम्नांकित सुझाव विशेष रूप से उपयोगी हो सकते हैं—

1. देश के नागरिकों को मानवाधिकारों के सम्बन्ध में जानकारी देने, उनमें जागरूकता उत्न्न करने, उन्हें प्राप्त करने के लिए सरकार दर दबाव बनाने, इनके उललंघनकर्त्ताओं को समुचित दण्ड दिलाने और उल्लंघनकर्त्ताओं के प्रति दंडात्मक कार्यवाही के लिये प्रयत्न करने आदि के लिये विशेष रू॰ से मीडिया, स्वयंसेवी संगठनों व महिला संगठनों को महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना होगा। अतः आज इन्हें प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है।
2. आज किसी भी एक मामले में एक अभियुक्त की निरूद्धि, लम्बी अवधि वाले न्यायिक परीक्षण, पुलिस द्वारा की जा रही मुठभेड़ों, पुलस थानों में महिलाओं के साथ बलात्कार, पुलिस अभिरक्षा मे लोगों की मौतें तथा पुलिस उत्पीड़न आदि को तो मानवाधिकार की विषयवस्तु में लिया जा रहा है तथा उनके सम्बन्ध में सरकार की ढिलाई आदि को तो बहुत बढ़ा—चढ़ाकर जनता के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। लेकिन ऐसे अभियुक्तों के द्वारा किये गये अपराधों के कारण जिन पीड़ित व्यक्तियों के आधकारों का जो हनन हो रहा है, उनके प्रति हम बहुत अधिक गंभीर दिखायी नहीं पड़ते। चूंकि दोनों ही परिस्थितियों में मानवाधिकारों का हनन होता है, अतः केवल एक स्थिति को उजागर करना अथवा उसकों बढ़ा—चढ़ाकर प्रस्तुत करना किसी भी स्थिति में उचित नहीं कहा जा सकता। अतः वर्तमान समय की आवश्यकता है कि प्रत्यके व्यक्ति चाहे वह प्रताड़ित हो अथवा अभियुक्त दोनों के मानवाधिकारों की सुरक्षा की ओर बराबर ध्यान दिये जाने हेतु आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जानी चाहिये। विशेषज्ञों के साथ मानवाधिकार से जुड़े संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं, महिला संगठनो आदि के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित करते हुए उनके सुझाव प्राप्त किये जायें।
3. देश में स्वयंसेवी संगठनों और महिला संगठनों ने महिला उत्पीड़न और मानवाधिकार उल्घन से सम्बन्धित मामलों को प्रकाश में लाकर सम्बन्धित लोगों को न्याय दिलाने मं उत्कृष्ट भूमि का का निर्वहन किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने भविष्य में मानवाधिकार उल्लंघन के अनेक संभावित मामलों पर इस प्रकार अप्रत्यक्ष रूप से रोक लगाने का भी रेष्ठ कार्य किया है लेकिन इसके साथ—साथ उनसे यह भी अपेक्षा है कि वे जनसाधारण को विभिन्न माध्यमों के द्वारा मानवाधिकारों के सम्बन्ध में अधिक से अधिक शिक्षित करने का प्रयास करें, तो निश्चित रू॰ से इस दिशा में उनका और अधिक उललेखनीय योगदान हो सकेगा। देशमें हुये 73 वें और 74 वें संविधान संशोधन के परिप्रेक्ष्य में त्रिस्तरीय पंचायतों को सौंपे जा रहे विभिन्न महत्वपूर्ण दायित्वों को देखते हुए अब त्रिस्तरीय पंचायतों तथा विभिन्न संगठनों को मानवाधिकारों के सम्बन्ध मे जनता को शिक्षित करने तथा मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों को रोकने के प्रभावी कदम उठाना चाहिये।
4. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एवं राज्य मानवाधिकार आयोग के वार्षिक रिपोर्टों के द्वारा संरक्षण हेतु की गयी संस्तुतियों को बाध्यकारी शक्ति प्राप्त होनी चाहिए ताकि सरकार सही दिशा में मानवाधिकार के संरक्षण का कार्य कर सकें। साथ ही साथ आयोग को भी अपनी पहुँच स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित करनी होगी एवं आयोग के विषय में लोगों में जागरूकता फैलानी होगी क्योंकि मानवाधिकार का हनन वास्तविक रूप में निचले एवं ग्रामीण स्तर पर ही अधिक होता हैं।

## निष्कर्ष

समाज नैसेगिक रूप से पुरूष एवं सित्रियों की भागीदारी से निर्मित होता है अतः उन कारकों की पहचान अत्यावश्यक है जिनसे महिलाओं की सथिति अपेक्षाकृत निर्बल हो गयी यदि कारण चिन्हित कर लिये जाये तब निदान आसान होगा ये कारण मुख्य रू॰ से सामाजिक और आर्थिक है स्त्री शिक्षा स्वास्थ्य आर्थिक सक्षमता ऐसे क्षेत्र है जिनमें पर्याप्त कार्य करने की आवश्यकता है शिक्षित स्त्री

ही भयमुक्त एवं आर्थिक रू‍ से सक्षम हो सकती है 20 वीं शताब्दी में महिलाओं के मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता उत्पन्न हुई है अब महिलाए परिवार में भी अपनी बात कहने लगी है संकोच का परित्याग कर रही है एवं संगठित भी हो रही है महिला सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थ किसी बाहरी ताकत से उन्हें सशक्त करना नही हैं बल्कि प्रकृति ने जो स्वाभाविक क्षमता महिलाओं को प्रदान की है उसे ही अभिव्यक्त व उपयोग के अवसर सुलभ कराने की आवश्यकता है महिला शोषण व उत्पीड़न एक विकृति है, सामाजिक व्याााधि के लिए सामाजिक उपचार ही अधिक कारगर होते है कानूनों का जंजाल नही अतः अनेकानेक कानूनों के द्वारा ही महिला सशक्तिकरण संभव नही होगा सामाजिक, सास्कृतिक, लोकाचार में महिला सशक्तिकरण को वास्तविक बनाना होगा।

पुरूष वर्ग को इस भ्रम से मुक्त होना ही पड़ेगा की वे राष्ट्र के कर्ण धार है कोई भी समाज पुरूषों से निर्मित नही हो सकता निर्माण में भागीदार दोनों पक्षो की सम्मान जनक सहभागिता से ही परिवार, समाज व राष्ट्र की सफलता संभव हैं।

## सन्दर्भ सूची

1. झाः इन्द्रजीत, किसान, श्रमिक, महिलाएँ एवं आदिवासियों पर भूमण्डलीकरण का प्रभाव, वीवा बुक्स प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली, 2008.
2. विप्लव डॉ0, भारत में महिला मानवाधिकार, राहुल पब्लिशिंग हाउस 365/6, शास्त्री नगर मेरठ (यू0पी0), 2012.
3. डॉ0 सेना इन्दु, मानवाधिकार और महिला, श्वेतामल्टीमिडिया 83 शिव कॉलौनी, राजगढ़ रोढ़, पिलानी– 333031 (राज0) 2011.
4. डॉ0 विप्लव, महिला सशक्तिकरणः विविध आयाम, राहुल पब्लिशिंग हाऊस 34 8/6, शास्त्रीनगर, मेरठ (यू0पी0), 2013.
5. डॉ, रानी आशु, महिला विकास कार्यक्रम, इना श्री पब्लिशर्स जयपुर, 2006 दृ
6. खंडेला मानचंद, महिला और बदलता सामाजिक परिवेश, आविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर 302003 (राजस्थान), 2013.
7. महावर सुनील, भारत में महिला सशक्तिकरण विविध आयाम और चुनौतियाँ, अविष्कार पब्लिशर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स जयपुर 302003 (राजस्थान), 2013.
8. दुबे कुमार अभयः भारत का भूमण्डलीकरण, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली.